न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा (राज.)

प्रशासन गावों के संग 2021 अभियान शिविर मुकाम बांसेडा तहसील फुलियाकलां
पीठासीन अधिकारी – श्री राजकेश मीना
(आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 05/2021

उनवान

1 रामपाल उर्फ शिखरचन्द महाजन पिता रामसिंह महाजन उम्र वयस्क निवासी बच्छखेडा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

.... वादी

बनाम

1 उच्छवदेवी पत्नि रिखबचन्द महाजन उम्र वयस्क निवासी बच्छखेडा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
2 विकास पिता रिखबचन्द महाजन उम्र वयस्क निवासी बच्छखेडा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
3 राज. राज्य जरिये तहसीलदार फुलियाकलां जिला भील0

.... प्रतिवादी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :::– श्री राजेश वर्मा.................. वकील वादी
श्री अरविन्द सिंह चौहान........ अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 01

–:: निर्णय ::–

दिनांक 04.10.2021

1. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण के इस आशय का प्रस्तुत किया कि वाके ग्राम रघुनाथपुरा हल्का पटवारी क्षेत्र बांसेडा तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा स्थित खतौनी संख्या 135 के आराजी संख्या 141, 150 किता 2 कुल रकबा 1.33 हैक्टे. भूमि जो पुश्तैनी होकर वर्तमान में वादी एवं रिखबचन्द महाजन, राजबाई महाजन के नाम पर संयुक्त खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड है। राजबाई महाजन एवं रिखबचन्द महाजन दोनों का देहान्त हो चुका है। प्रतिवादी संख्या 01, 02 को रिखबचन्द महाजन के विधिक वारिसान होने से उन्हे वादपत्र में बतौर पक्षकार संयोजित किया है। राजबाई महाजन वादी व रिखबचन्द महाजन की माताजी थी। वादी को बचपन में रामपाल के नाम से पुकारा जाता था, इसी आधार पर वादग्रस्त आराजीयात के राजस्व अभिलखों में विरासत प्रक्रिया के दौरान भूलवश नाबालिग रामपाल दोषयुक्त दर्ज कर दिया गया। जबकि वादी का वास्तविक नाम शिखरचन्द महाजन है। यह त्रूटीपूर्ण ईन्द्राज आदिनांक तक अनवरत रूप से चला आ रहा है।

अतः वादग्रस्त आराजीयात के वर्तमान राजस्व अभिलेखों में वादी का नाम नाबालिग रामपाल पिता रामसिंह संरक्षक माता राजवाई के स्थान पर शिखरचन्द पिता रामसिंह महाजन सा.देह दुरूस्त किये जाने की डिक्री सादर फरमाई जावें।

2. वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र दिनांक 18.02.2021 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन मा[illegible] तलब किया गया। नियत सुनवाई दिनांक 01.04.2021 पर विपक्षी संख्या [illegible] की [illegible]र से नियुक्त अधिवक्ता ने न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर [illegible] जाने में अपनी और से कोई उजर/आपत्ति नही होना व्यक्त [illegible]लिया जवाबदावा प्रस्तुत किया गया, जिसे रिकार्ड पर लिया गया। शेष विपक्षी क्रम [illegible] सूचना के बावजूद नियत [illegible] अनुपस्थित रहने से विरूद्ध विपक्षी संख्या 02 एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। इसी दौरान प्रकरण को प्रशासन गावों के संग 2021 अभियान शिविर मुकाम बांसेडा दिनांक 04.10.2021 के लिए पंजीबद्ध किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajkesh Meena
Date: 2021.12.21 11:35:48 IST
Reason: SelfAttested

वादी ने मार्फत अधिवक्ता शहादत्त में वादी का शपथपत्र प्रस्तुत किया। प्रस्तुतशुदा शपथपत्र एवं शिविर में मौजूद स्वतंत्र गवाहों के कलमबद्ध बयानों पर लाल स्याही से क्रमशः पी. डब्ल्यू–01, 02, 03 का अंकन कर वादपत्र से संलग्न राजस्व आधार अभिलेख, चालु जमाबन्दी सवंत् 2073–76, पहचान संबंधी दस्तावेजात पर क्रमशः प्रदर्श–1 से प्रदर्श–6 के अंकन किए गये। शिविर में उपस्थित वादी के अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में वहस प्रस्तुत करना चाहने से बहस एकपक्षीय सुनी गई। बहस के दौरान वादी के विद्वान अधिवक्ता ने अपने द्वारा प्रस्तुत वादपत्र के अंकित कलमो को अपनी बहस में समायत करते हुए निवेदन किया कि वादी का नाम नाबालिग रामपाल पिता रामसिंह संरक्षक माता राजवाई के स्थान पर शिखरचन्द पिता रामसिंह महाजन सा.देह अभिलेखों में दुरूस्त किया जाना फरमावें।

पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध आधार अभिलेख एवं पहचान संवंधि दस्तावेजी साक्ष्य के परीक्षण/अवलोकन उपरान्त वादी का नाम नाबालिग रामपाल पिता रामसिंह संरक्षक माता राजबाई के स्थान पर शिखरचन्द पिता रामसिंह महाजन सा.देह दुरूस्त किया जाना उचित है।

–::आदेश::–

वादी का वादपत्र बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण सहमति के आधार पर स्वीकार किया जाकर ग्राम रघुनाथपुरा हल्का पटवारी क्षेत्र बांसेडा तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा स्थित खतौनी संख्या 135 के आराजी संख्या 141, 150 किता 2 कुल रकबा 1.33 हैक्टे भूमि के राजस्व अभिलेखों में वादी का नाम नाबालिग रामपाल पिता रामसिंह संरक्षक माता राजबाई के स्थान पर शिखरचन्द पिता रामसिंह महाजन सा.देह खातेदार दुरस्त किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाकर इस आशय की अन्तिम डिक्री पारित की जाती है। अन्तिम डिक्री की प्रति तहसीलदार फुलियाकलां को पालनार्थ भिजवाई जावे। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। तद्नुसार डिक्री पर्चा तरतीब किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 04.10.2021 को प्रशासन गावों के संग 2021 अभियान शिविर मुकाम बांसेडा के खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकेश मीना)
उपखण्ड अधिकारी, फुलियाकला
जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajkesh Meena
Date: 2021.12.21 11:35:48 IST
Reason: SelfAttested